न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01/2019
रजि.संख्या : 2019/00010

प्रार्थी :–

श्री रुपा पिता धुलजी निवासी गॉव सागडूंगरी तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :–

श्रीमती सुनिता पत्नि अरुण पुत्री कृष्णलाल निवासी बावडी तहसील आनन्दपुरी जिला बॉसवाडा
श्री लसु पिता खातु निवासी गॉव डोकर हाल उम्मेद गढी, तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा
तहसीलदार तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा

उपस्थित अभिभाषक

श्री शाहबाज खॉ – अपीलार्थी

श्री यशपाल गुप्ता – अभिभाषक रेस्पोण्डेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 17/09/2018 मौजा सागडूंगरी पटवार हल्का बागीदौरा तह0 बागीदौरा, जिला बांसवाडा

निर्णय

दिनांक :– 05–03–2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बागीदौरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 17/09/2018 मौजा सागडूंगरी पटवार हल्का बागीदौरा तह0 बागीदौरा, जिला बांसवाडा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र को आधार मानकर रेस्पोडेंट सं. 1 के नाम नामान्तरकरण करने में विधि एवं तथ्यो की त्रुटी की है, क्योंकि विधि अनुसार नामान्तरकरण का अधिकार ग्राम पंचायत को है और प्रकरण में कृषि भूमि मौजा सागडूंगरी ग्राम पंचायत वनेला के अधीन आती है तथा नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है। नामान्तरकरण करने में कोई ऐसा कारण अंकित नही है कि ग्राम पंचायत विधितः इन्कार किया गया है। अपिलांट का यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने सर्वप्रथम अपने पिता की मृत्यु के आधार पर राजस्व खाते में अमल दरामद करवाया तथा बाद में रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवाया। रेस्पोडेंट संख्या 2 के स्वर्गीय पिता खातु पिता जगजी पटेल ने अपने अधिपत्य एवं स्वामित्व के सात खेत कुल रकबा 14 बिघा 18 बिस्वा दिनांक 23.06.1991 को रेस्पोडेंट सं. 2 के पिता ने अपिलांट से 17000/– रुपया नकद लेकर विक्रय कर साक्षियो ,गॉव मोतबीर एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियो के समक्ष कब्जा सुपूर्द किया था। क्रय करने की तिथि से अपीलांट का उक्त

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

समस्त कृषि भूमि पर जिसका पुराना खाता 4 होकर वर्तमान तुलनात्मक खाता संख्या 213 नया एवं 163 पुराना के सम्पूर्ण क्षैत्रफल पर कृषि युक्त कब्जा है। अपीलांट अनुसार तहसीलदार बागीदौरा द्वारा गात्र विक्रय पत्र को आधार मानकर नामान्तरण किया गया है। जबकि पटवारी से कब्जा बाबत् रिर्पोट के पश्चात् उसी अनुसार नामान्तरकरण किया जाना था। भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार अविवादित समस्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के मजमे आम में किये जाते है। और यदि कोई विवाद हो तो उसके अंकन के साथ तहसीलदार को प्रेषित करने पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण किया जाता है। अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम किये गये विक्रय एवं नामान्तरकरण की जानकारी नही थी, तथा दिनांक 27.06.2019 को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 तथा उनके अन्य साथियो द्वारा जबरन कृषि कार्य के लिये आमादा होने पर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। जिस पर अपीलांट ने नकल हेतु दिनांक 01.07.2019 को आवेदन किया एवं दिनांक 02.07.2019 को नकल प्राप्त की एवं अपील प्रस्तुत कर तहसीलदार बागीदौरा द्वारा निष्पादित नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 17/09/2018 अपास्त किये जाने निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 08–08–2019 को रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 व 2 की ओर से श्री यशपाल गुप्ता का अभिभाषक–पत्र प्रस्तुत हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपने जवाब में कथन किया है कि रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 के रेकार्ड व कब्जे काश्त की भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की जिस पर नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 17.09.2018 दायर कर पटवारी रिर्पोट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिर्पोट उपरान्त दिनांक 20.09.2018 को ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया लेकिन ग्राम पंचायत कोरम द्वारा किसी तरह की कोई कार्यवाही नही की। पुनः दिनांक 20.10.2018 को ग्राम पंचायत में पेश किया गया जो बिना किसी कार्यवाही एवं कारण लौटा दिया गया। जिस पर तहसीलदार बागीदौरा द्वारा दिनांक 31.12.2018 को नामान्तरकरण आवेदन का निपटारा किया। भू राजस्व अधिनिमय 1956 की धारा 135(1) अनुसार ग्राम पंचायत 45 दिन के अन्दर नामान्तरकरण आवेदन निपटारा करने में विफल रहती है तो ऐसे मामलो में तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण आवेदन को निपटारा करने की शक्ति उक्त अधिनियम के तहत पदत्त की गई है। तथा अपीलांट द्वारा पेश मामले मे सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण के आवेदन को 45 दिन में निपटारा नही करने की अवस्था में नियमानुसार उक्त मामले अधिनस्थ पटवारी द्वारा पेश रिर्पोट व विभागीय अधिकारियों द्वारा जॉच कर नामान्तरकरण आवेदन का निपटारा किया है। अपीलांट ने अपील बिना किसी तथ्यो व जानकारी के पेश की है। एवं अपील खारिज करने निवेदन किया है।

रेस्पोडेंट सं. 3 ने अपने जवाब में कथन किया है कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (1) अनुसार ग्राम पंचायत 45 दिन के अन्दर नामान्तरकरण आवेदन निपटारा करने में विफल रहती है तो तहसीलदार द्वारा ऐसे विफल मामलो के नामान्तरकरण आवेदन को निपटारा करने की शक्ति उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त की गई है। तथा अपीलांट द्वारा पेश मामले मे सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण के आवेदन को 45 दिन में निपटारा नही करने की अवस्था में नियमानुसार मामले में अधिनस्थ पटवारी द्वारा पेश रिर्पोट व विभागीय अधिकारियों द्वारा जॉच कर नामान्तरकरण आवेदन का निपटारा किया है। रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 के रेकार्ड व कब्जे काश्त की भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की जिस पर नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 17.09.2018 दायर कर पटवारी रिर्पोट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिर्पोट उपरान्त दिनांक 20.09.2018 को ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया लेकिन ग्राम पंचायत कोरम द्वारा किसी तरह की कोई कार्यवाही नही की। पुनः दिनांक 20.10.2018 को ग्राम पंचायत में पेश किया गया जो बिना

(नरेश ठुकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

किसी कार्यवाही एवं कारण लौटा दिया गया। जिस दिनांक 31.12.2018 को नामान्तरकरण आवेदन का निपटारा किया जाकर उक्त इन्तकाल दर्ज रिकार्ड किया गया। एवं अपील खारिज करने निवेदन किया है।

दिनांक 25–02–2020 को अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में तहसीलदार बागीदौरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 17/09/2018 मौजा सागडूंगरी पटवार हल्का बागीदौरा तह0 बागीदौरा, जिला बांसवाडा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र को आधार मानकर रेस्पोडेंट सं. 1 के नाम नामान्तरकरण करने में विधि एवं तथ्यो की त्रुटी की है, क्योंकि विधि अनुसार नामान्तरकरण का अधिकार ग्राम पंचायत को है और प्रकरण में कृषि भूमि मौजा सागडूंगरी ग्राम पंचायत वनेला के अधीन आती है और नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है। और नामान्तरकरण करने में कोई ऐसा कारण अंकित नही है कि ग्राम पंचायत विधितः इन्कार किया गया है। अपिलांट का यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने सर्वप्रथम अपने पिता की मृत्यु के आधार पर राजस्व खाते में अमल दरामद करवाया तथा बाद में रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवाया। रेस्पोडेंट संख्या 2 के स्वर्गीय पिता खातु पिता जगजी पटेल ने अपने अधिपत्य एवं स्वामित्व के सात खेत कुल रकबा 14 बिघा 18 बिस्वा दिनांक 23.06.1991 को रेस्पोडेंट सं. 2 के पिता ने अपिलांट से 17000/– रुपया नकद लेकर विक्रय कर साक्षियो ,गॉव मोतबीर एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियो के समक्ष कब्जा सुपूर्द किया था। क्रय करने की तिथि से अपीलांट का उक्त समस्त कृषि भूमि पर जिसका पुराना खाता 4 होकर वर्तमान तुलनात्मक खाता संख्या 213 नया एवं 163 पुराना के सम्पूर्ण क्षैत्रफल पर कृषि युक्त कब्जा है। अपिलांट अनुसार तहसीलदार बागीदौरा द्वारा मात्र विक्रय पत्र को आधार मानकर नामान्तरण किया गया है। जबकि पटवारी से कब्जा बाबत् रिर्पोट के पश्चात् उसी अनुसार नामान्तरकरण किया जाना था। भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार अविवादित समस्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के मजमे आम में किये जाते है। अपनी अपील के समर्थन में आर.आर.टी. 2003 (1) पेज नम्बर 596 सीताराम बनाम महेशचन्द व अन्य, आर.आर.टी. 2002 (2) पेज नम्बर 966 लाडा (श्रीमती) बनाम बिरबल व अन्य, आर.आर.डी 1996 पेज नंबर 425 सागीर अहमद बनाम विरेन्द्र सिंह व अन्य के न्यायिक उद्दरण भी प्रस्तुत किये। एवं नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 17/09/2018 खारिज करने निवेदन किया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में भू राजस्व अधिनिमय 1956 की धारा 135(1) अनुसार ग्राम पंचायत नामान्तरकरण 45 दिन के अन्दर नामान्तरकरण आवेदन निपटारा करने में विफल रहती है तो ऐसे विफल मामलो का नामान्तरकरण आवेदन को निपटारा करने की शक्ति उक्त अधिनियम के तहत तहसीलदार को प्रदत्त की गई है। रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 के रेकार्ड व कब्जे काश्त की भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की जिस पर नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 17.09.2018 दायर कर पटवारी रिर्पोट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिर्पोट उपरान्त दिनांक 20.09.2018 को ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया लेकिन ग्राम पंचायत कोरम द्वारा किसी तरह की कोई कार्यवाही नही की। पुनः दिनांक 20.10.2018 को ग्राम पंचायत में पेश किया गया जो बिना किसी कार्यवाही एवं कारण लौटा दिया गया। जिस दिनांक 31.12.2018 को नामान्तरकरण आवेदन का निपटारा किया जाकर उक्त इन्तकाल दर्ज रिकार्ड किया गया। अपनी बहस के समर्थन में 2009 (1) आर.आर.टी पेज नम्बर 705 आनुडी व अन्य बनाम श्रीमती धन्नी देवी व अन्य, 2006–07 (SUPP) 292 बेगाराम बनाम मदन सिंह व अन्य, आर.आर.टी 2003 (1) पेज नम्बर 650 जेतुसिंह बनाम भंवरसिंह व अन्य, आर.आर.डी. 1993 पेज नम्बर 28 रामा बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य, न्यायिक उद्दरण भी प्रस्तुत किये।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

उभयपक्षों के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उदरणों का भी अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण पर अपीलान्ट इस आधार पर अपील लेकर आये है कि तहसीलदार बागीदौरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 17/09/2018 मौजा सागडूंगरी पटवार हल्का बागीदौरा तह0 बागीदौरा, जिला बांसवाडा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र को आधार मानकर रेस्पोडेंट सं. 1 के नाम नामान्तरकरण करने में विधि एवं तथ्यो की त्रुटी की है, क्योंकि विधि अनुसार नामान्तरकरण का अधिकार ग्राम पंचायत को है और प्रकरण में कृषि भूमि मौजा सागडूंगरी ग्राम पंचायत बनेला के अधीन आती है और नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है। जबकि अधिवक्ता रेस्पोडेंट अनुसार भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की जिस पर नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 17.09.2018 दायर कर पटवारी रिर्पोट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिर्पोट उपरान्त दिनांक 20.09.2018 को ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया लेकिन ग्राम पंचायत कोरम द्वारा किसी तरह की कोई कार्यवाही नही की। पुनः दिनांक 20.10.2018 को ग्राम पंचायत में पेश किया गया जो बिना किसी कार्यवाही एवं कारण के लौटा दिया गया।

भू राजस्व अधिनिमय 1956 की धारा 135(1) अनुसार ग्राम पंचायत नामान्तरकरण 45 दिन के अन्दर नामान्तरकरण आवेदन निपटारा करने में विफल रहती है तो ऐसे में तहसीलदार द्वारा विफल मामलो का नामान्तरकरण आवेदन को निपटारा करने की शक्ति अधिनियम के तहत प्रदत्त की गई है। तथा अपीलांट द्वारा पेश मामले मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11–09–2018 के नामान्तरकरण के आवेदन को ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन में निपटारा नही करने की अवस्था में नियमानुसार उक्त मामला अधिनस्थ पटवारी द्वारा पेश रिर्पोट व विभागीय अधिकारियों द्वारा जॉच कर उक्त नामान्तरकरण आवेदन का निपटारा दिनांक 31.12.2018 को तहसीलदार बागीदौरा द्वारा किया जाकर इन्तकाल दर्ज रिकार्ड किया गया है। जो नियमानुसार सही प्रतित होता है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण पर तहसीलदार बागीदौरा द्वारा निष्पादित नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 17/09/2018 को यथावत रखा जाता है एवं अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज 05–03–2020 को सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.03.05 16:39:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: